



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59815

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7926 वर्ष 2026

सुखदेव यादव

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: कमलेंद्र कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेंद्र कुमार मौर्य, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल बाबू और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अनुराग पांडे की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह जमानत याचिका आवेदक को वाद अपराध संख्या 191/2025, धारा 3(5), 103(1), 61(2), 140(1), 238 बीएनएस, पुलिस स्टेशन-अच्छलदा, जिला-आगरा के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर दो दिन की देरी से दर्ज की गई थी। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, 24.09.2025 को सुबह 11:00 बजे, मृतक का अपहरण आवेदक सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया था, और उसके बाद, गोलीबारी से चोटें पहुँचाकर, वे उसे एक कार में ले गए। बाद में, मृतक का शव 26.09.2025 को सुबह 7:00 बजे मिला। आगे यह भी बताया गया है कि 24.09.2025 और 26.09.2025 के बीच, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। एफआईआर दर्ज करने से पहले भी, मृतक का शव मिलते ही, मृतक के चाचा, महेंद्र सिंह द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे गवाह सतेंद्र सहगर ने लिखा था। उस आवेदन में, 24.09.2025 की घटना का कोई उल्लेख नहीं था, न ही आवेदक या किसी सह-आरोपी के खिलाफ कोई आरोप लगाए गए थे। इसलिए, एफआईआर महज़ एक बाद की घटना है, क्योंकि 26.09.2025 के आवेदन के लेखक ने बाद में अपना बयान पूरी तरह बदल दिया। हालाँकि उसने खुद को 24.09.2025 की घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया, लेकिन उसने मृतक के शव की बरामदगी के बाद पुलिस को दिए गए पहले के आवेदन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आगे यह निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी गौतम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8737/2026 में दिनांक 16.03.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि मामला समान है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने संलग्न हलफनामे में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सात मामलों के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। आवेदन आगे यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 30.09.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और ध्यान में रखते हुए अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सुखदेव यादव** को, उनके द्वारा व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतों को समान राशि में प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, मुकदमे/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

23 मार्च, 2026

एससी

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”